



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दाण्डिक अपील संख्या 1724/2023

राजेलाल मेरावी पिता श्री सामल सिंह मेरावी
उम्र लगभग 27 वर्ष निवासी ग्राम सिंगबोरा,
थाना-सालहेवारा जिला- खैरागढ़- छुईखदान-गंडई,
छत्तीसगढ़।

बनाम

-----अपीलकर्ता
(जेल में)

छत्तीसगढ़ राज्य थाना-सालहेवारा,
जिला- खैरागढ़- छुईखदान-गंडई
छत्तीसगढ़

-----उत्तरवादी

अपीलकर्ता के लिए: श्री अमित बक्सी, अधिवक्ता।
राज्य के लिए : श्री नितांश जायसवाल, पैनल अधिवक्ता।

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति
माननीय श्री रवींद्र कुमार अग्रवाल, न्यायाधीश
बोर्ड पर निर्णय

रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति
25.03.2025

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित बक्सी को सुना गया। उत्तरवादी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री नितांश जायसवाल को भी सुना गया।
2. यह आपराधिक अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, "दं. प्र. सं.") की धारा 374(2) के अधीन विद्वान विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़ (छत्तीसगढ़) द्वारा विशेष सत्र प्रकरण संख्या 35/2021 में दिनांक 22.06.2023 को पारित दोषसिद्धि एवं सजा के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके अधीन आरोपी-अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया है और निम्नानुसार सजा सुनाई गई है:-

दोषसिद्धि	सजा
भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के अधीन	01 वर्ष के लिए कठोर कारावास और 500/- रुपये का अर्थदंड, व्यतिक्रम की दशा में 1 माह का सश्रम कारावास



भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अधीन	07 वर्ष के लिए कठोर कारावास और 1,000/- रुपये का अर्थदंड, व्यतिक्रम की दशा में 2 माह का सश्रम कारावास
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012	आजीवन कारावास और 2,000/- रुपये का अर्थदंड, व्यतिक्रम की दशा में 4 माह का सश्रम कारावास
सारी सजाएँ साथ साथ चलेंगी।	

3. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि 13.11.2021 को दोपहर करीब 12:30 बजे पीड़िता के पिता (अ.सा.-5) ने साल्हेवारा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि 11.11.2021 की रात करीब 8:30 बजे वह खाना खाकर सो गया और उसकी बेटी पीड़िता (अ.सा.-2) बाहर खेल रही थी। जब वह उठा तो उसकी पत्नी ने बताया कि पीड़िता गायब है। उन्होंने पीड़िता की तलाश की और उसे आरोपी के घर पर रोते और डरी हुई हालत में पाया। पीड़िता ने अपने पिता को बताया कि रात करीब 9 बजे जब वह अपनी मौसी के घर जा रही थी तो आरोपी ने उसे पकड़ लिया और उसके मुंह पर गमछा बांध दिया और चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वह उसे अपने घर ले गया और दो बार उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता किसी को बताने से डर रही थी। उपरोक्त शिकायत के आधार पर, पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भा. दं. सं. की धारा 376 (2) (डी), 506 और 342 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 5 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी (प्रदर्श पी/11) दर्ज की। पीड़िता का बयान प्रदर्श पी/4 के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया गया और उसके अभिभावक की सहमति से प्रदर्श पी/28 के अधीन उसकी मेडिकल जांच की गई (प्रदर्श पी/2), गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अपराध स्थल का साइट प्लान और नक्शा तैयार किया गया। जब्त संपत्ति को विश्लेषण के लिए न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। इसके बाद, आरोपी को प्रदर्श पी/17 के अधीन गिरफ्तार किया गया।

4. जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध भा. दं. सं. की धारा 342, 363, 376(2)(जे)(डी), 376(3) और 506-॥ तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4(2) के अधीन विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़ (छ.ग.) के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया गया तथा मामला विशेष सत्र वाद संख्या 35/2021 के रूप में दर्ज किया गया। गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के विरुद्ध भा. दं. सं. की धारा 342, 363, 376(2) (जे)(डी), 376(3) और 506-॥ तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4(2) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए।



6. अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप स्थापित करने³ के लिए अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों की जांच की और 34 दस्तावेज पेश किए। दं. प्र. सं. की धारा 313 के अधीन अपीलकर्ता का बयान भी दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध पेश की गई सामग्री से इनकार किया और कहा कि वह निर्दोष है और उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की विवेचना के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने आरोपी/अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और उसे फैसले के पैराग्राफ-2 में उल्लिखित सजा सुनाई। इसलिए यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

7. अभियुक्त/अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने विरोधाभासी बयान दिए हैं और उनके बयानों में बहुत सी चूकें और सुधार हैं और इस तरह उनके बयान अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए विश्वास पैदा नहीं करते हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने एमएलसी और न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट और डॉ. श्वेता कौमार्या (अ.सा.-12) के बयान की व्याख्या करने में गलती की है और यह भी विचार करने में विफल रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि पीड़िता के साथ जबरन यौन संबंध बनाए गए थे। विद्वान विचारण न्यायालय ने पूरे सबूतों पर समग्रता से विचार नहीं किया और केवल पीड़िता (अ.सा.-2) के सबूतों की विवेचना की। उन्होंने आगे कहा कि विद्वान विचारण न्यायालय ने पीड़िता के बयान पर विश्वास करने में गलती की है क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में बड़ी संख्या में विरोधाभास हैं। पीड़िता की आयु के समर्थन में कोई कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है जो दर्शाता हो कि घटना की तिथि पर वह नाबालिग थी। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़िता की सही आयु का पता लगाने के लिए उसका अस्थिकरण परीक्षण नहीं किया गया था। इस प्रकार, पीड़िता की आयु का कोई प्रामाणिक प्रमाण नहीं है। उन्होंने अंत में कहा कि विद्वान विचारण न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसका अर्थ है शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास जो अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए बहुत कठोर है और इसे 20 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार, अपील को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।

8. दूसरी ओर, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की तर्कों का विरोध किया और कहा कि अपीलकर्ता द्वारा किए गए अपराध जघन्य प्रकृति के थे और इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय ने उसे सही रूप से दोषी ठहराया था। उन्होंने कहा कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दिए गए सभी तर्कों पर विचार किया है और उसके अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। इसके अलावा, पीड़िता नाबालिग थी और घटना के समय उसकी उम्र लगभग 13 वर्ष 08 महीने और 23 दिन थी, जो कि आवक जावक रजिस्टर (प्रदर्श पी/22 सी) से साबित होता है, जिसमें पीड़िता की जन्म तिथि 19.02.2008 दर्ज है। पीड़िता के साक्ष्य की किसी पुष्टि के लिए



आवश्यकता नहीं है और पीड़िता की एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि की जा सकती है। इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है और दोषसिद्धि और सजा के आदेश के विवादित फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है और साथ ही विद्वान विचारण न्यायालय के मूल अभिलेख को अत्यंत सावधानी और सतर्कता के साथ देखा है।

10. वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि मूलतः पीड़िता (अ.सा.-2), पीड़िता के पिता (अ.सा.-5), पीड़िता की माता (अ.सा.-1) तथा पीड़िता के आवक जावक रजिस्टर (प्रदर्श पी/22 सी) की गवाही पर आधारित है।

11. अभियोजन के प्रकरण के अनुसार पीड़िता की जन्म तिथि 19.02.2008 है तथा इस आधार पर घटना दिनांक अर्थात् 11.11.2021 को पीड़िता की आयु 13 वर्ष 08 माह 23 दिन थी। इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने शासकीय प्राथमिक शाला सिंगबोरा, थाना साल्हेवारा, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) का आवक जावक रजिस्टर प्रस्तुत किया है, जिसे उक्त शाला के प्रधानाध्यापक भागवत मेरावी (अ.सा.-9) द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस साक्षी ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि आवक जावक रजिस्टर में पीड़िता के संबंध में क्रम संख्या 135 में सूचना अंकित है तथा दिनांक 16.06.2019 को उसे कक्षा-1 में प्रवेश दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा है कि इस रजिस्टर के अनुसार पीड़िता की जन्म तिथि 19.02.2008 है।

12. वर्तमान घटना के 02 वर्ष पूर्व आवक जावक रजिस्टर में पीड़िता की जन्म तिथि 19.02.2008 दर्ज थी, जिसके आधार पर घटना दिनांक को पीड़िता की आयु लगभग 13 वर्ष 08 माह 23 दिन पाई गई। अपीलार्थी ने पीड़िता की उक्त आयु को निरस्त करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

13. इस प्रकार, उपर्युक्त मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, हम पाते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के पैरा 25 में सही माना है कि घटना की तारीख पर पीड़िता 16 वर्ष से कम उम्र की थी।

14. अपीलकर्ता द्वारा पीड़िता के विरुद्ध बलात्कार के आरोप के संबंध में, पीड़िता (अ.सा.-2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि वह आरोपी राजेलाल मेरावी को जानती थी। वह सिंगबोरा गांव में रहती



थी। घटना के तीन महीने पहले, वह अपने भाई के साथ रात 9:00 बजे अपने घर के पास खेल रही थी। खेलने के बाद, वह अपनी मौसी पेंटोरिन के घर जा रही थी, तभी आरोपी ने उसे तेंदू के पेड़ के पास पकड़ लिया, उसका मुंह बंद कर दिया और उसे अपने घर ले गया, जहां उसने उसके साथ दो बार बलात्कार किया। अगली सुबह, पीड़िता के माता-पिता ने उसे आरोपी के घर पर पाया और उसे घर ले गए। बाद में गांव में बैठक बुलाई गई और पीड़िता के माता-पिता गांव वालों के साथ साल्हेवारा थाना रिपोर्ट दर्ज कराने गए। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज किया और उससे अंडरवियर और गमछा मांगा, जो उसने मुहैया कराया।

15. पीड़िता की मां (अ.सा.-1) और पीड़िता के पिता (अ.सा.-5) सहित अभियोजन पक्ष के गवाहों ने पीड़िता (अ.सा.-2) के बयान की पुष्टि की है। उन्होंने आगे कहा कि जब उनकी बेटी लापता थी, तो उन्होंने उसे खोजा और उसे आरोपी के घर पर पाया, जहां उसके साथ बलात्कार किया जा रहा था। इसके बाद पीड़िता के माता-पिता और गांव वालों ने बैठक बुलाई, जहां आरोपी का सामना किया गया। यद्यपि, आरोपी ने माफी मांगने या अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप पीड़िता के माता-पिता ने आरोपी के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई।

16. जांच अधिकारी दुर्वेद्र सिंह (अ.सा.-13) ने अपने बयान में बताया कि 13.11.2021 को वे साल्हेवाड़ा थाने में तैनात थे, जब पीड़िता के पिता (अ.सा.-5) ने आरोपी के विरुद्ध लिखित शिकायत (प्रदर्श पी/10) दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी पीड़िता को जबरन अपने घर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। इस शिकायत के आधार पर आरोपी/अपीलकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी (प्रदर्श पी/11) दर्ज की गई।

17. पीड़िता की जांच करने वाली चिकित्सा अधिकारी डॉ. श्वेता कौमार्या (अ.सा.-12) ने गवाही दी कि 13.11.2021 को पीड़िता को महिला कांस्टेबल अर्चना तिग्गा, नंबर 835, थाना साल्हेवाड़ा द्वारा जांच के लिए उनके सामने लाया गया था। जांच के दौरान, पीड़िता की मां (अ.सा.-1) और पीड़िता (अ.सा.-2) ने शारीरिक जांच के लिए अपनी सहमति दी। जांच के बाद, पाया गया कि पीड़िता की बाईं आंख के पास एक तिल था और उसके दाहिने गाल पर एक और तिल था। पीड़िता का मासिक धर्म 13 वर्ष की आयु में शुरू हुआ था, और उसका अंतिम मासिक धर्म पिछले महीने था, यद्यपि वह सही तारीख याद नहीं कर सकी। जांच के दौरान, उसकी स्थिति सामान्य थी, आंतरिक या बाहरी चोटों के कोई लक्षण नहीं थे। द्वितीयक यौन लक्षण विकसित हुए थे। आंतरिक जांच में पीड़िता के जननांगों पर चोट के कोई लक्षण नहीं पाए गए, और उसकी हाइमन एक पुराना फटा हुआ पाया गया। जांच के दौरान, चार योनि स्लाइड तैयार की गईं, सील की गईं और न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला में आगे की जांच के लिए



महिला कांस्टेबल को सौंप दी गई। पीड़िता को आयु निर्धारण और विशेषज्ञ की राय के लिए रेडियोलॉजिस्ट और स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास भेजा गया। इसके अतिरिक्त, मूत्र गर्भावस्था परीक्षण (यूपीटी), पेट और श्रोणि की सोनोग्राफी, एचआईवी परीक्षण, एचबीएसएजी और मनोचिकित्सक की राय की सलाह दी गई। उनकी राय में, परीक्षा के आधार पर, पीड़िता के जननांग या शरीर के बाहरी अंगों पर जबरन संभोग या चोटों के कोई संकेत नहीं थे। उनकी जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी/25 है।

18. डॉ. मनीष बघेल (अ.सा.-14), जिन्होंने अभियुक्त की जांच की है, ने कहा था कि सामान्य परीक्षा में उन्होंने पाया कि अभियुक्त सामान्य था और उसकी मानसिक स्थिति भी सामान्य थी। उसकी द्वितीयक यौन विशेषताएँ पूरी तरह से विकसित थीं। क्रेमैस्टिक रिफ्लेक्स मौजूद था, उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी और स्मेग्मा मौजूद था। उनकी राय के अनुसार, अभियुक्त संभोग करने में सक्षम था। उसे दी गई रिपोर्ट प्रदर्श पी/29 है।

19. उपर्युक्त चर्चा के दृष्टिकोण में हम विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष की भी पुष्टि करते हैं कि अपीलकर्ता इस प्रकरण के अपराध का अपराधी है।

20. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुतीकरण के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में कुछ विरोधाभासों और चूकों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह के मामले में (1996) 2 एससीसी 384 में रिपोर्ट की, पीड़िता के बयान की विश्वसनीयता पर विचार करते हुए माना है कि "अभियोक्त्री के बयान में मामूली विरोधाभास या महत्वहीन विसंगतियाँ अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन पक्ष के मामले को निरस्त करने का आधार नहीं होनी चाहिए। यौन उत्पीड़न की पीड़िता का साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त था और पुष्टि की आवश्यकता नहीं है जब तक कि पुष्टि की मांग करने के लिए बाध्यकारी कारण न हों। न्यायालय न्यायिक विवेक को संतुष्ट करने के लिए उसके बयान के कुछ आश्वासनों की तलाश कर सकता है"। पप्पू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 176] में भी यही बात दोहराई गई।

21. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी आपत्ति उठाई कि पीड़िता के अलावा उसके बयान के समर्थन में कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है, यहां तक कि उसके पिता और मां का बयान भी पीड़िता द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है और मेडिकल साक्ष्य भी पुष्टि नहीं करते हैं, इसलिए केवल पीड़िता के बयान के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को दोषी ठहराना टिकने योग्य नहीं है।



22. हम अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलील से सहमत नहीं हैं क्योंकि यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि अभियुक्त की सजा बिना पुष्टि के केवल गवाही के आधार पर हो सकती है और यह भी माना गया है कि अदालत को केवल धारणाओं और अनुमानों के आधार पर पीड़िता की एकमात्र गवाही पर संदेह नहीं करना चाहिए।

23. गणेशन बनाम राज्य [(2020) 10 एससीसी 573] के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा और माना कि पीड़िता/अभियोक्त्री की एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि हो सकती है जब पीड़िता का बयान विश्वसनीय, बेदाग, विश्वसनीय पाया जाता है और उसका साक्ष्य उत्कृष्ट गुणवत्ता का होता है। उपर्युक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास पीड़िता के एकमात्र साक्ष्य पर दोषसिद्धि पर निर्णयों की श्रृंखला पर विचार करने का अवसर था। पैराग्राफ 10.1 से 10.3 में, यह देखा गया और निम्नानुसार माना गया:

“10.1. क्या यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ आदि से जुड़े मामले में अभियोक्त्री के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है, विजय [विजय बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 8 एससीसी 191] में पैरा 9 से 14 में निम्नानुसार अवलोकन किया गया है: (एससीसी पृष्ठ 195-98)

“9. महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन [महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन, रिपोर्ट किया गया (1990) 1 एससीसी 550] में इस न्यायालय ने माना कि एक महिला, जो यौन उत्पीड़न की शिकार है, अपराध में सहयोगी नहीं है, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति की वासना की शिकार है और इसलिए, उसके साक्ष्य का परीक्षण सहयोगी के समान संदेह के साथ नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने निम्न टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 559, पैरा 16)

16. यौन अपराध की अभियोक्त्री को सह-अपराधी के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। वह वास्तव में अपराध की पीड़िता है। साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि उसके साक्ष्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी पुष्टि न हो। वह निस्संदेह धारा 118 के अधीन एक सक्षम गवाह है और उसके साक्ष्य को वही महत्व दिया जाना चाहिए जो शारीरिक हिंसा के मामलों में घायल व्यक्ति को दिया जाता है। उसके साक्ष्य के मूल्यांकन में उतनी ही सावधानी और सतर्कता बरती जानी चाहिए जितनी कि घायल शिकायतकर्ता या गवाह के मामले में बरती जाती है, इससे अधिक नहीं। यह आवश्यक है कि न्यायालय को इस तथ्य के प्रति सजग और सचेत रहना चाहिए कि वह



उस व्यक्ति के साक्ष्य पर विचार कर रहा है जो उसके द्वारा लगाए गए आरोप के परिणाम में रुचि रखता है। यदि न्यायालय इस बात को ध्यान में रखता है और संतुष्ट महसूस करता है कि वह अभियोक्त्री के साक्ष्य पर कार्रवाई कर सकता है, तो साक्ष्य अधिनियम में धारा 114 के उदाहरण (बी) के समान कोई कानून या अभ्यास शामिल नहीं है, जिसके लिए उसे पुष्टि की तलाश करने की आवश्यकता होती है। यदि किसी कारण से न्यायालय अभियोक्त्री की गवाही पर अंतर्निहित निर्भरता रखने में हिचकिचाता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसके साक्ष्य को पुष्ट करने के लिए सहायक के मामले में आवश्यक पुष्टि से कम आश्वासन दे सके। अभियोक्त्री की गवाही को आश्वासन देने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होनी चाहिए। लेकिन अगर अभियोक्त्री वयस्क है और पूरी समझ रखती है, तो न्यायालय उसके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि का आधार बनाने का हकदार है, जब तक कि उसे कमजोर और भरोसेमंद नहीं दिखाया जाता। यदि मामले के अभिलेख में दिखाई देने वाली परिस्थितियों की समग्रता से पता चलता है कि अभियोक्त्री के पास आक्षेपित व्यक्ति को झूठे तरीके से फंसाने का कोई मजबूत मकसद नहीं है, तो अदालत को आमतौर पर उसके साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

10. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पप्पू [(2005) 3 एससीसी 594] में इस न्यायालय ने माना कि ऐसे मामले में भी जहां यह दिखाया गया है कि लड़की सहज गुण वाली लड़की है या यौन संबंध बनाने की आदी लड़की है, यह बलात्कार के आरोप से अभियुक्त को मुक्त करने का आधार नहीं हो सकता है। यह स्थापित किया जाना चाहिए कि उस विशेष अवसर के लिए उसकी सहमति थी। अभियोक्त्री को चोट न लगना ऐसा कारक नहीं हो सकता है जिसके कारण न्यायालय अभियुक्त को मुक्त कर दे। इस न्यायालय ने आगे कहा कि अभियोक्त्री की एकमात्र गवाही पर दोषसिद्धि हो सकती है और यदि न्यायालय अभियोक्त्री के कथन से संतुष्ट नहीं है, तो वह अन्य साक्ष्य, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य, मांग सकता है, जिससे उसे उसकी गवाही का आश्वासन मिल सके। न्यायालय ने निम्न प्रकार से माना: (एससीसी पृष्ठ 597, पैरा 12)

'12. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि बलात्कार के अपराध की शिकार होने की शिकायत करने वाली अभियोक्त्री अपराध के बाद सह-अपराधी नहीं है। कानून का कोई नियम नहीं है कि भौतिक विवरणों में पुष्टि के बिना उसकी गवाही पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। वह घायल गवाह की तुलना में ऊँचे स्थान पर है। बाद के मामले में, शारीरिक रूप



से चोट है, जबकि पहले मामले में यह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दोनों हैं। यद्यपि अगर अभियोक्त्री के बयान को उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार करना मुश्किल लगता है, तो वह प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य की तलाश कर सकती है, जो उसकी गवाही को आश्वासन दे सके। सहयोगी के संदर्भ में समझे जाने वाले पुष्टिकरण के बिना आश्वासन ही काफी होगा।'

11. पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह [(1996) 2 एससीसी 384] में इस न्यायालय ने माना कि यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ आदि से जुड़े मामलों में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह ऐसे मामलों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटाए। अभियोक्त्री के बयान में मामूली विरोधाभास या महत्वहीन विसंगतियां अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को निरस्त करने का आधार नहीं होनी चाहिए। यौन उत्पीड़न की पीड़िता का साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है और इसके लिए किसी पुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं है जब तक कि पुष्टिकरण मांगने के लिए बाध्यकारी कारण न हों। न्यायालय न्यायिक विवेक को संतुष्ट करने के लिए उसके बयान के कुछ आश्वासनों की तलाश कर सकता है। अभियोक्त्री का बयान घायल गवाह की तुलना में अधिक विश्वसनीय है क्योंकि वह सह-अपराधी नहीं है। न्यायालय ने आगे कहा कि यौन अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज करने में देरी को उचित रूप से समझाया भी नहीं जा सकता है, लेकिन यदि यह स्वाभाविक पाया जाता है, तो आरोपी को इसका कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। न्यायालय ने निम्न प्रकार से टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 394-96 और 403, पैरा 8 और 21)

'8. ...न्यायालय ने उस स्थिति को नजरअंदाज कर दिया जिसमें एक गरीब असहाय नाबालिग लड़की खुद को तीन हताश युवकों की संगति में पाती है जो उसे धमका रहे थे और उसे कोई भी आवाज लगाने से रोक रहे थे। फिर, यदि जांच अधिकारी ने जांच ठीक से नहीं की या चालक या कार का पता लगाने में लापरवाही बरती, तो यह अभियोक्त्री की गवाही को न मानने का आधार कैसे बन सकता है? अभियोक्त्री का जांच एजेंसी पर कोई नियंत्रण नहीं था और जांच अधिकारी की लापरवाही अभियोक्त्री के बयान की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं कर सकती थी। ...अदालतों को साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय इस तथ्य के प्रति सजग रहना चाहिए कि बलात्कार के मामले में कोई भी स्वाभिमानी महिला अपने सम्मान के विरुद्ध अपमानजनक बयान देने के लिए अदालत में नहीं आएगी, जैसे कि उसके साथ बलात्कार किया गया हो। यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में, अभियोक्त्री के मामले की सत्यता पर कोई भौतिक प्रभाव न डालने वाले विचार या



अभियोक्त्री के बयान में विसंगतियों को, जब तक कि विसंगतियां घातक प्रकृति की न हों, अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को निरस्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ...ऐसे मामलों में, एक नियम के रूप में, उस पर भरोसा करने से पहले उसके बयान की पुष्टि की मांग करना चोट पर नमक छिड़कने के बराबर है। ...अभियोक्त्री की गवाही पर न्यायिक निर्भरता के लिए एक शर्त के रूप में पुष्टि कानून की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दी गई परिस्थितियों में विवेक का मार्गदर्शन है। ...

21. ...अदालतों को किसी मामले की व्यापक संभावनाओं की जांच करनी चाहिए और अभियोक्त्री के बयान में मामूली विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो घातक प्रकृति के नहीं हैं, अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को निरस्त करने के लिए। यदि अभियोक्त्री के साक्ष्य से विश्वास पैदा होता है, तो भौतिक विवरणों में उसके बयान की पुष्टि किए बिना उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से अदालत को उसकी गवाही पर अंतर्निहित भरोसा करना मुश्किल लगता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकती है जो उसकी गवाही को आश्वासन दे सके, साथी के मामले में आवश्यक पुष्टि के अलावा। अभियोक्त्री की गवाही को पूरे मामले की पृष्ठभूमि में महत्व दिया जाना चाहिए और विचारण न्यायालय को अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग होना चाहिए और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों से निपटने के दौरान संवेदनशील होना चाहिए।¹⁶

12. उड़ीसा राज्य बनाम ठाकरा बेसरा [(2002) 9 एससीसी 86] में, इस न्यायालय ने माना कि बलात्कार केवल शारीरिक हमला नहीं है, बल्कि यह अक्सर पीड़िता के पूरे व्यक्तित्व को विचलित कर देता है। बलात्कारी असहाय महिला की आत्मा को अपमानित करता है और, इसलिए, अभियोक्त्री की गवाही को पूरे मामले की पृष्ठभूमि में महत्व दिया जाना चाहिए और ऐसे मामलों में, अन्य गवाहों की भी जांच न करना अभियोजन मामले में गंभीर कमजोरी नहीं हो सकती है, खासकर जहां गवाहों ने अपराध होते नहीं देखा हो।

13. हिमाचल प्रदेश राज्य में बनाम रघुबीर सिंह [(1993) 2 एससीसी 622] में, इस न्यायालय ने माना कि दोषसिद्धि का आदेश दर्ज करने से पहले अभियोक्त्री के साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए किसी अन्य साक्ष्य की तलाश करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। साक्ष्य की संख्या के बदले उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। अभियोक्त्री की एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है, यदि उसका साक्ष्य विश्वास पैदा



करता है और ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं जो उसकी सत्यता के विरुद्ध हों। इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय ने वाहिद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(2010) 2 एससीसी 9] में दोहराया है, जिसमें रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य [एआईआर 1952 एससी 54] में पहले के फैसले का अवलंब लिया है।

14. इस प्रकार, इस मुद्दे पर जो कानून उभर कर आता है, वह यह है कि अभियोक्त्री का कथन, यदि विश्वसनीय और विश्वसनीय पाया जाता है, तो उसे पुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं होती है। न्यायालय अभियोक्त्री की एकमात्र गवाही के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहरा सकता है।”

10.2. कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य [(2011) 7 एससीसी 130] में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया और माना गया कि बलात्कार के अपराध के लिए किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए, अभियोक्त्री का एकमात्र साक्ष्य पर्याप्त है, बशर्ते कि वह विश्वास पैदा करे और पूरी तरह से भरोसेमंद, बेदाग और उत्कृष्ट गुणवत्ता का प्रतीत हो।

10.3. किसे "उत्कृष्ट गवाह" कहा जा सकता है, इस पर इस न्यायालय द्वारा राय संदीप बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [राय संदीप बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), (2012) 8 एससीसी 21] में, विचार किया गया और इस पर विचार किया गया। पैरा 22 में, यह निम्नानुसार देखा और माना गया है: (एससीसी पृष्ठ 29)

“22. हमारी राय में, “उत्कृष्ट गवाह” बहुत उच्च गुणवत्ता और क्षमता का होना चाहिए, जिसका कथन इसलिए, अप्रतिरोध्य होना चाहिए। न्यायालय को ऐसे गवाह के कथन पर विचार करते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के इसे उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए। ऐसे गवाह की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए, गवाह की स्थिति महत्वहीन होगी और जो प्रासंगिक होगा वह ऐसे गवाह द्वारा दिए गए कथन की सत्यता है। जो अधिक प्रासंगिक होगा वह कथन की सुसंगतता होगी, आरंभिक बिंदु से लेकर अंत तक, अर्थात्, उस समय जब गवाह प्रारंभिक कथन देता है और अंततः न्यायालय के समक्ष। यह स्वाभाविक होना चाहिए और अभियुक्त के रूप में अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे गवाह के कथन में कोई झूठ नहीं होना चाहिए। गवाह किसी भी लंबाई और चाहे कितनी भी कठिन प्रतिपरीक्षण का सामना करने की स्थिति में होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में उसे कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए।



घटना के तथ्य, इसमें शामिल व्यक्तियों और साथ ही इसके अनुक्रम के बारे में किसी भी संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस तरह के कथन का अन्य सभी सहायक सामग्रियों जैसे बरामदगी, इस्तेमाल किए गए हथियार, अपराध का तरीका, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ की राय के साथ सह-संबंध होना चाहिए। उक्त कथन को हर दूसरे गवाह के कथन से लगातार मेल खाना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में लागू किए जाने वाले परीक्षण के समान होना चाहिए, जहां अभियुक्त को उसके विरुद्ध आक्षेपित अपराध का दोषी ठहराने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई भी कड़ी कम नहीं होनी चाहिए। केवल तभी जब ऐसे गवाह का कथन उपरोक्त परीक्षण के साथ-साथ लागू किए जाने वाले अन्य सभी समान परीक्षणों को योग्य बनाता है, तो यह माना जा सकता है कि ऐसे गवाह को "उत्कृष्ट गवाह" कहा जा सकता है, जिसका कथन बिना किसी पुष्टि के अदालत द्वारा स्वीकार किया जा सकता है और जिसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है। अधिक सटीक रूप से, अपराध के मुख्य स्पेक्ट्रम पर उक्त गवाह का संस्करण यथावत रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी सहायक सामग्री, अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और भौतिक वस्तुएं भौतिक विवरणों में उक्त संस्करण से मेल खानी चाहिए ताकि अपराध की सुनवाई करने वाली अदालत मुख्य संस्करण पर भरोसा कर सके और अपराधी को आक्षेपित आरोप का दोषी ठहराने के लिए अन्य सहायक सामग्रियों को छान सके।

24. राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) बनाम पंकज चौधरी [(2019) 11 एससीसी 575] के मामले में यह देखा गया और माना गया कि एक सामान्य नियम के रूप में, यदि विश्वसनीय हो, तो अभियुक्त की सजा बिना किसी पुष्टि के एकमात्र गवाही पर आधारित हो सकती है। यह आगे देखा गया और माना गया कि पीड़ित की एकमात्र गवाही पर अदालत को केवल धारणाओं और अनुमानों के आधार पर संदेह नहीं करना चाहिए। पैराग्राफ 29 में, यह देखा गया और माना गया:

"29. अब यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोक्त्री की एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि कायम रखी जा सकती है, यदि यह विश्वास जगाती है। विष्णु बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2006) 1 एससीसी 283]। इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला द्वारा यह सुस्थापित है कि ऐसा कोई कानून या अभ्यास का नियम नहीं है कि अभियोक्त्री के साक्ष्य पर पुष्टि के बिना भरोसा नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार यह निर्धारित किया गया है कि बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि के लिए पुष्टि अनिवार्य नहीं है। यदि पीड़ित के साक्ष्य में कोई बुनियादी कमी नहीं है और "संभावना कारक" उसे विश्वसनीयता के अयोग्य नहीं बनाता है, तो सामान्य नियम के रूप में, चिकित्सा साक्ष्य को छोड़कर पुष्टि



पर जोर देने का कोई कारण नहीं है, जहां मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, चिकित्सा साक्ष्य की उम्मीद की जा सकती है। [राजस्थान राज्य बनाम एन.के.][[(2000) 5 एससीसी 30]]”

25. शाम सिंह बनाम हरियाणा राज्य [(2018) 18 एससीसी 34] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि पीड़िता की गवाही महत्वपूर्ण है और जब तक ऐसे बाध्यकारी कारण न हों जो उसके बयान की पुष्टि की तलाश करना आवश्यक बनाते हों, अदालतों को यौन उत्पीड़न की पीड़िता की गवाही के आधार पर अकेले आरोपी को दोषी ठहराने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जहां उसकी गवाही विश्वास पैदा करती है और विश्वसनीय पाई जाती है। यह भी देखा गया कि ऐसे मामलों में, एक नियम के रूप में, उस पर भरोसा करने से पहले उसके बयान की पुष्टि की मांग करना चोट पर नमक छिड़कने के बराबर है। पैराग्राफ 6 और 7 में, यह देखा गया और निम्नानुसार माना गया:

"6. हम जानते हैं कि बलात्कार के आरोप में अभियुक्त पर मुकदमा चलाते समय न्यायालयों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्हें ऐसे मामलों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटाना चाहिए। न्यायालयों को मामले की व्यापक संभावनाओं की जांच करनी चाहिए और अभियोक्त्री के बयान में मामूली विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो घातक प्रकृति के नहीं हैं, अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को निरस्त करने के लिए। यदि अभियोक्त्री के साक्ष्य से विश्वास पैदा होता है, तो उस पर भौतिक विवरणों में उसके बयान की पुष्टि किए बिना भरोसा किया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से न्यायालय को उसकी गवाही पर अंतर्निहित भरोसा करना मुश्किल लगता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसकी गवाही को आश्वस्त कर सके, साथी के मामले में आवश्यक पुष्टि के अलावा। अभियोक्त्री की गवाही को पृष्ठभूमि में सराहा जाना चाहिए। पूरे मामले में न्यायालय को अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग रहना चाहिए और यौन उत्पीड़न या यौन हमलों से जुड़े मामलों से निपटते समय संवेदनशील होना चाहिए। [देखें पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह [(1996) 2 एससीसी 384] (एससीसी पृष्ठ 403, पैरा 21)]।

7. यह भी अब तक अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है कि साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय न्यायालयों को इस तथ्य के प्रति सजग रहना चाहिए कि बलात्कार के मामले में कोई भी स्वाभिमानि महिला अपने सम्मान के विरुद्ध अपमानजनक बयान देने के लिए न्यायालय में आगे नहीं आएगी, जैसे कि उसके साथ बलात्कार किया गया हो। यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में, अभियोक्त्री के मामले की सत्यता पर कोई भौतिक प्रभाव न



डालने वाले या अभियोक्त्री के बयान में विसंगतियों को, जब तक कि विसंगतियां घातक प्रकृति की न हों, अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को निरस्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। महिलाओं की अंतर्निहित शर्मिली प्रवृत्ति और यौन आक्रामकता के आक्रोश को छिपाने की प्रवृत्ति ऐसे कारक हैं जिन्हें अदालतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में पीड़िता की गवाही महत्वपूर्ण है और जब तक कि उसके बयान की पुष्टि करने के लिए कोई बाध्यकारी कारण न हों, अदालतों को किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए यौन उत्पीड़न की पीड़िता की गवाही पर अकेले कार्रवाई करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जहां उसकी गवाही विश्वास पैदा करती है और विश्वसनीय पाई जाती है। ऐसे मामलों में, एक नियम के रूप में, उस पर भरोसा करने से पहले उसके बयान की पुष्टि करना चोट पर नमक छिड़कने के समान है। देखें रंजीत हजारिका बनाम असम राज्य [(1998) 8 एससीसी 635]”

26. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों, विशेषकर पीड़िता (अ.सा.-2), पीड़िता की मां (अ.सा.-1), पीड़िता के पिता (अ.सा.-5) और आवक जावक रजिस्टर (प्रदर्श पी/22 सी) के साक्ष्यों पर विचार करते हुए, अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य और उसके विश्लेषण से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता ने पीड़िता को उसके वैध संरक्षकत्व से अपहृत किया और अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। अभियोजन पक्ष यह भी संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि घटना की तिथि पर पीड़िता नाबालिग थी यानी 16 वर्ष से कम आयु की थी और अभियुक्त ने उक्त तिथि, समय और स्थान पर नाबालिग पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न किया। इस प्रकार, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के विरुद्ध सभी संदेह से परे अपना मामला साबित करने में सफल रहा है।

27. परिणामस्वरूप, भारतीय दंड संहिता की धारा 342 और 363 के अधीन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा और दोषसिद्धि को यथावत रखा जाता है। जहां तक पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दोषसिद्धि का संबंध है, उसे भी यथावत रखा जाता है, यद्यपि, इस न्यायालय का विचार है कि आजीवन कारावास की सजा, जिसका अर्थ शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास होगा, बहुत कठोर है और इसके बजाय, इसे 20 साल के कठोर कारावास में परिवर्तित किया जाता है। अर्थदंड राशि और डिफॉल्ट सजा को यथावत रखा जाता है।

28. अपीलकर्ता को गिरफ्तारी की तारीख 17.11.2021 से जेल में है। उसे ऊपर संशोधित सजा भुगतने का निर्देश दिया जाता है।



29. आपराधिक अपील आंशिक रूप से ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकार की जाती है।

30. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि इस निर्णय की प्रमाणित प्रति मामले के मूल अभिलेख के साथ संबंधित विचारण न्यायालय को आवश्यक सूचना और अनुपालन के लिए तत्काल भेजी जाए तथा इस निर्णय की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को भी भेजी जाए, जहां अपीलकर्ता जेल की सजा काट रहा है, ताकि अपीलकर्ता को यह सूचित किया जा सके कि वह उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील करके इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है।

सही/- (रविंद्र कुमार अग्रवाल) न्यायाधीश	सही/- (रमेश सिन्हा) मुख्य न्यायाधिपति
---	---





2025 : CGHC : 14246-DB

16

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

